



न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक




36

जयराम महतो वगैरह बनाम हलबट महतो

क्र०/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
	<p>अभिलेख सं०-एम. 27 / 2018 धारा-107 द०प्र०सं० थाना प्रभारी <u>सीनायतु</u> के अप्राथमिकी सं०-06/18 दिनांक-09-03-18 प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि <u>स्वाता नं०-100 प्लॉट नं०-1086 रकबा 36 सौ जमीन का लेकट</u> उभय पक्ष में विवाद है।</p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति गंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति गंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रु० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अभिलेख तिथि 06-04-18 को उपस्थापित करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। </div> <div style="text-align: center;">  कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। </div> </div>	

08-04-18

चीकराईन पदाधिकारी का पंचायत-बुण्डू(राँची) में कक्षा दिनांक 07-04-18 को रहे।

तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर
08-10-18	<p>उद्योग पत्र अंशुपत्रित । कापी ० दस्तावेज कार्यालय में आम लेने हेतु बोली दी । अगली तैय्य</p>
12-10-18	<p>अभिलेख उपस्थापित । प्रथम पत्र अधिकृत हाजरी दिनांक पत्र उपस्थापित । दिनांक पत्र अगली तैय्य में जवान दारिगल को दिनांक 26-10-18 को रखे ।</p> <p style="text-align: right;"> 12/10/18</p>
26-10-18	<p>अभिलेख उपस्थापित । प्रथम पत्र उपस्थापित दिनांक पत्र अधिकृत हाजरी । दिनांक पत्र जवान दारिगल को दिनांक 05-11-18 को रखे ।</p> <p style="text-align: right;"> 26/10/18</p>
05-11-18	<p>अभिलेख उपस्थापित । उद्योग पत्र अंशुपत्रित उक्त वाद के (वर्द्ध) माह की अवधि पूर्ण हो इकी हेतु अर्थात् वाद कालबाधित हो गया है । अतः वाद के अभिलेख की कारवाही बन्द की जाती है ।</p> <p style="text-align: right;"> 05/11/18</p>